न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 58/2021

दायर दिनांक :- 06.10.2021

उनवान

1. शंकर पुत्र जगदीश } जाति गुर्जर निवासी भाण्डारेज
2. हीरा पत्नि जगदीश } तहसील दौसा जिला दौसा

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा।
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भाण्डारेज जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. बैंक आफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज भू0अ0 भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में ख.न. 6849 रकबा 0.3700 है0, ख.न. 6856 रकबा 0.4900 है0, ख.न. 6877 रकबा 0.4100 है0, ख.न. 6879 रकबा 0.1600 है0, ख.न. 6891 रकबा 0.3200 है0, ख.न. 6892 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 6893 रकबा 0.6000 है0, ख.न. 6908 रकबा 0.8100 है0, ख.न. 6912 रकबा 0.4600 है0, ख.न. 6813 रकबा 0.4700 है0, ख.न. 6918 रकबा 0.4300 है0, ख.न. 6919 रकबा 0.4500 है0, ख.न. 6922 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 6923 रकबा 0.2700 है0, ख.न. 6927 रकबा 0.3800 है0, ख.न. 6930 रकबा 0.2600 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.5700 है0 व ख.न. 9051/6850 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 9053/6901 रकबा 0.6200 है0 ख.न. 9057/6904 रकबा 0.2700 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 है0 स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजी के संयुक्त रूप से रिकार्डेड काबिज सहखातेदार काश्तकार है। उक्त आराजियात का अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में ख.न. 6849 रकबा 0.3700 है0, ख.न. 6856 रकबा 0.4900 है0, ख.न. 6877 रकबा 0.4100 है0, ख.न. 6879 रकबा 0.1600 है0, ख.न. 6891 रकबा 0.3200 है0, ख.न. 6892 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 6893 रकबा 0.6000 है0, ख.न. 6908 रकबा 0.8100 है0, ख.न. 6912 रकबा 0.4600 है0, ख.न. 6813 रकबा 0.4700 है0, ख.न. 6918 रकबा 0.4300 है0, ख.न. 6919 रकबा 0.4500 है0, ख.न. 6922 रकबा 0. 5500 है0, ख.न. 6923 रकबा 0.2700 है0, ख.न. 6927 रकबा 0.3800 है0, ख.न. 6930 रकबा 0.2600 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.5700 है0 व ख.न. 9051/6850 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 9053/6901 रकबा 0.6200 है0 ख.न. 9057/6904 रकबा 0.2700 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 है0 भूमि के किसी भू-भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने से व प्रार्थीगण को बलपूर्वक निष्कासित करने से व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 13.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तथा दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वकील प्रार्थी को सुना गया। हम प्रकरण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिंन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है

1. **<u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः-</u>** इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी ख.न. 6849 रकबा 0.3700 है0, ख.न. 6856 रकबा 0.4900 है0, ख.न. 6877 रकबा 0.4100 है0, ख.न. 6879 रकबा 0.1600 है0, ख.न. 6891 रकबा 0.3200 है0, ख.न. 6892 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 6893 रकबा 0.6000 है0, ख.न. 6908 रकबा 0.8100 है0, ख.न. 6912 रकबा 0.4600 है0, ख.न. 6813 रकबा 0.4700 है0, ख.न. 6918 रकबा 0.4300 है0, ख.न. 6919 रकबा 0.4500 है0, ख.न. 6922 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 6923 रकबा 0.2700 है0, ख.न. 6927 रकबा 0.3800 है0, ख.न. 6930 रकबा 0.2600 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.5700 है0 व ख.न. 9051/6850 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 9053/6901 रकबा 0.6200 है0 ख.न. 9057/6904 रकबा 0.2700 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 है0 भूमि में प्राथीग्ण राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है एवम अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजी के संयुक्त रूप से रिकार्डेड काबिज सहखातेदार काश्तकार है। हमारा विनम्र अभिमत है कि रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका। तथा प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी ख.न. 6849 रकबा 0.3700 है0, ख.न. 6856 रकबा 0.4900 है0, ख.न. 6877 रकबा 0.4100 है0, ख.न. 6879 रकबा 0.1600 है0, ख.न. 6891 रकबा 0.3200 है0, ख.न. 6892 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 6893 रकबा 0.6000 है0, ख.न. 6908 रकबा 0.8100 है0, ख.न. 6912 रकबा 0.4600 है0, ख.न. 6813 रकबा 0.4700 है0, ख.न. 6918 रकबा 0.4300 है0, ख.न. 6919 रकबा 0.4500 है0, ख.न. 6922 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 6923 रकबा 0.2700 है0, ख.न. 6927 रकबा 0.3800 है0, ख.न. 6930 रकबा 0.2600 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.5700 है0 व ख.न. 9051/6850 रकबा 0.1400 है0, ख.न. 9053/6901 रकबा 0.6200 है0 ख.न. 9057/6904 रकबा 0.2700 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 है0 स्थित है। भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थी नम्बर 1 स्वयं, अपने परिजनो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा ताफैसला वाद दखल न देवे तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक **27.06.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा